EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 635—638

Dated 28-5-2011

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2011

सा.का.नि. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आशुलिपिक ग्रेड-III (क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन) भर्ती नियमावली, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्र संक्रिया प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय में आशुलिपिक श्रेणी-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्र संक्रिया प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (आशुलिपिक श्रेणी-II), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक ग्रेड-II	27* (2011) *(कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड 1, 5200-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	सेवा, समूह "ग", (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.			अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष की जा सकती है।) **टिप्पणी** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, (ii) कुशल परीक्षण मानदण्ड – श्रुतलेख : दस मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की दर से अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) कंप्यूटर पर	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारियों के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
(i) समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (मुख्यालय में पुष्टिकरण के मामलों के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. निदेशक (ए)/, निदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी —अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन)/उप निदेशक —सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

(13)	
4. केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य कार्यालय से उप निदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य

(ii) समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (क्षेत्रीय कार्यालयों में पुष्टिकरण के मामलों के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. उप महानिदेशक (आर)/, निदेशक (आर)	—अध्यक्ष
2. राज्य/पड़ोसी राज्य के अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक/ उप निदेशक/सहायक निदेशक	—सदस्य
3. सहायक निदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी जिसे अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार/विभाग से सहयोजित किया जाए	—सदस्य

[फा. सं. ए-12018/4/2010-प्रशा. III]
डी. के. शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2011

G. S. R. 162.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Stenographer III (Field Operations Division, National Sample Survey Organization) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Gr. II, in the Field Operations Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office (Stenographer Gr. II), Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Steno-grapher Grade II	27* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Ministerial)	PB-1 Rs. 5200—20200, Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms,— **Dictation** : 10 minutes @ 80 w.p.m. **Transcription** : 50 minutes (English) 65 mintues (Hindi) (on Computer).	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note.**—Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits column (8).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
(i) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation cases in Headquarters) consisting of :— 1. Director (A)/Director/Chief Administrative Officer —Chairman 2. Deputy Director (Administration)/Deputy Director —Member 3. Senior Administrative Officer/Administrative Officer —Member 4. An Officer of the rank of Deputy Director from other Central/State Government Offices —Member **(ii) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation cases in Regional Offices) consisting of :—** 1. Deputy Director General (R)/Director (R) —Chairman 2. Director/Deputy Director/Assistant Director of other Regional Office in the State/Neighbouring State —Member 3. An Officer of the rank of Assistant Director to be co-opted from other Central/State Government/Department —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/4/2010-Admn. III]

D. K. SHARMA, Under Secy.

2926 S&PI/11

MGIPRRND—2926 S&PI/11—100 Copies